आरक्षण : दशा व दिशा

भारत में आज ही नहीं वरन् हजारों वर्षों से आरक्षण की व्यवस्था रही है। वर्ण, जाति तथा धर्म के आधार पर सवर्णों द्वारा आर्थिक व सामाजिक संसाधनों पर शत–प्रतिशत आरक्षण प्राप्त किया गया तथा सामाजिक,आर्थिक व राजनैतिक स्तर पर वर्चस्व व आधिपत्य स्थापित किया।

वर्तमान में आरक्षण को लेकर 15 प्रतिशत सवर्ण वर्ग द्वारा बवेला किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण उनके हाथों से शत–प्रतिशत आरक्षण का खिसकना है। जनसंख्या के अनुपात में दलित वर्ग तथा पिछड़ों को कुछ आरक्षण दिया गया है। उसको हथिया कर सवर्ण वर्ग अपने कब्जे में लेना चाहता है।

देश के आर्थिक संसाधनों की यदि समीक्षा की जाती है तो 15 प्रतिशत ब्राह्मण, बणियां तथा राजपूतों ने देश के 85 प्रतिशत प्राकृतिक व आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य किया हुआ है। देश की 85 प्रतिशत बहुसंख्यक जनसंख्या मात्र 15 प्रतिशत आर्थिक संसाधनों पर जीवन यापन करती है। इनकी सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक परिवेश की स्थिति भी दयनीय है। मलाईदार व्यवसाय तथा आर्थिक संसाधन ''बाबरा'' (ब्राह्मण, बणियां तथा राजपूत)के पास है तथा मजदूरी व शारीरिक श्रम साध्य व्यवसाय दलित वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के पास हैं। सवर्ण लोग दलित वर्ग के श्रम का उपभोग कर मौज करते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह स्थिति अधिक समय तक विद्यमान नहीं रह सकती है।

आदि काल से धर्म शास्त्रों द्वारा स्थापित स्वर्ण वर्ग की आरक्षण व्यवस्था चलती आ रही है। अंग्रेंजों के शासनकाल में भी व्यवस्था कायम रही। लेकिन ब्रिटिश सरकार नें ब्राह्मणों की चालाकी को समझकर अपने शासन काल के उत्तरार्ध में इस व्यवस्था पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था। दलित व पिछड़े वर्ग की समस्याओं व उनकी सामाजिक स्थिति को समझकर उन्हे आगे लाने के प्रयास कर दिये गये थे।

सन् 1854 में स्टेंडिंग आदेश संख्या 128/2 निकालकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित वर्ग की शासन–प्रशासन तथा आर्थिक संसाधनों में भागीदारी करने के प्रयास प्रारंभ कर दिये गये थे। 20 अगस्त, 1917 में माण्टेग्यू चेम्सफॉर्ड की रिपोर्ट में यह कहा गया कि चालाक वर्ग द्वारा दलित वर्ग व सामान्य पिछड़ी प्रजा को कुटिलता से दबाये रखना गलत हैं। यह व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिये।

सन् 1928 में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा ब्राह्मणशाही एकाधिकार का विरोध किया दलितों व पिछड़ो के लिये सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में सहभागिता की बात कही गई सामाजिक स्तर पर व्याप्त विषमता को दूर किया जाये। सन् 1928 में साइमन कमीशन भारत आया जिसका सवर्णो द्वारा विरोध किया गया था। इस कमीशन द्वारा विभिन्न वर्गो की मांगो पर विचार कर दलित व पिछड़े वर्ग को शासन प्रशासन तथा आर्थिक व्यवसायों में प्रतिनिधित्व देने की अभिशंषा की गई। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित वर्ग के उत्थान के लिये कई घोषणाएं की गई। 12 नवम्बर 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लन्दन में गोलमेज सभा तथा 1931 में दूसरी गोलमेज सभा में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख तथा अछूतों की स्थिति के बारे में विभिन्न पहलूओं पर विचार करते हुए निर्वाचन में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। गांधी जी द्वारा मुसलमानों व सिक्खों के प्रतिनिधित्व को तो स्वीकार कर लिया गया लेकिन राजनीति में अछूतो का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया गया। इसका विरोध करने के लिये यरवदा जैल में आमरण अनशन प्रारंभ किया गया।

अनशन के फलस्वरूप गांधी जी की स्थिति बिगड़ने के कारण बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर सवर्ण हिन्दूओं द्वारा चारों और से जोरदार दबाव बनाया गया कि अछूतों के लिये अलग से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं की जावे, उन्हें जान से मारने की धमकिया भी दी गई।

इसी दबाव को लेकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा गांधी जी की बात माननी पड़ी तथा दिनांक 24 सितम्बर 1932 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के बीच अछूतों के अधिकार व प्रतिनिधित्व को लेकर एक समझौता हुआ जिसे ''पूना पैक्ट'' के नाम से जाना जाता है। यहीं से वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई, अछूतों के लिये राजनीति, सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई।

वैसे महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा 1882 में सबके लिये शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। दलितो व पिछड़ो के लिये आरक्षण की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सन् 1894 में मैसूर राज्य के तत्कालीन राजा तथा 1902 में कोल्हापूर रियासत के शासक छत्रपति साहूजी महाराज ने भी अपने प्रशासन में पिछड़े व अछूतों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया।

15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान 26 नवम्बर 1949 को संसद द्वारा अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर देश को गणतंत्र घोषित किया गया। ''पूना पैक्ट'' के आधार पर अछूत व आदिवासी वर्ग को संविधान की अनुसूची में विहित कर किया गया। जिसके कारण इनका नामकरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रचलित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत बेकवार्ड क्लास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा अनुसूचित में विहित जातियों को उनके सामाजिक स्थिति की विपन्नता के कारण तथा समाज में फैली असमानता को मिटाने के लिये निर्वाचित संस्थाओं, सरकारी सेवा तथा शिक्षा के क्षेत्र में को 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया गया। देश के राज्यों को उनमें इनकी जनसंख्या के अनुपात तक आरक्षण देने के लिये संविधान द्वारा अधिकृत किया गया। लेकिन तत्काल समय में अन्य पिछड़े वर्ग के लिये सरकार द्वारा आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

नेहरू जी के शासनकाल में काका कालेलकर कमीशन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने पर विचार करने के लिये संविधान की धारा 340 के तहत 28 जनवरी 1953 को नियुक्त किया गया। कमीशन द्वारा 19 अगस्त 1955 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी गई। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सवर्णो द्वारा घोर विरोध किया, फलस्वरूप सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, रिपोर्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। इसके उपरांत 1978 में मण्डल कमीशन बनाया गया जिसकी रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। मण्डल कमीशन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27.5 प्रतिशत की सिफारिश की गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के उपरांत ब्राह्मण, बणियां तथा राजपूत वर्ग को अपना आधार खिसकता नजर आने लगा। आरक्षण के कारण शासन व समाज में सवर्ण वर्ग को अपना वर्चस्व समाप्त होता जान पड़ने लगा। उनको अपने झूठे आत्माभिमान पर चोट महसूस होनी लगी तथा उनमें तिलमिलाहट होने लगी। राजनैतिक रूप से सवर्ण वर्ग अल्प संख्या (15 प्रतिशत) में होने के कारण उन्हें आरक्षण समाप्त करने की दाल गलती दिखाई नहीं दी। अतः आरक्षण से सम्बन्धित छोटे–छोटे मामलों को लेकर न्यायालय का सहारा लिया जाने लगा। क्योंकि उच्च न्यायालय स्तर पर 99 प्रतिशत न्यायाधीश इन्हीं की जाति के होते हैं, जो न्याय की कुर्सी पर तो बैठ गये लेकिन आज भी उनकी मनुवादी व ब्राह्मण वादी मानसिकता है तथा पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित है। परिणामस्वरूप न्यायिक निर्णयों में बाल की खाल निकालकर आरक्षण को जटिल व विवादास्पद बनाया जा रहा है। इन्द्रा साहनी, सबरवाल तथा एम. नागराजन के मामले आरक्षण संबंधी निर्णयों के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट हो जाती हैं।

–: आरक्षण की संवैधानिक स्थिति :–

26 नवम्बर 1949 को नये संविधान को संसद द्वारा अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर देश को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में न्याय (Justice), स्वतंत्रता (Liberty), समानता (Equality), तथा बन्धुत्व (Fraternity), बढाने के लिये संकल्प लिया गया। ''पूना पैक्ट'' के समझौते के आधार पर अछूत तथा पिछड़े वर्ग को समाज व देश में सम्मानित स्थान देने के लिये कई प्रावधान किये गये तथा शासन शिक्षा एवं राजकीय सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई। पूर्व में प्रचलित असंगत विधानों को तिरोहित करते हुए संविधान के आर्टिकल 13 के तहत ''सभी विधियॉ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधो से असंगत है'' इस प्रावधान के तहत सभी ब्रह्मणवादी कानून असंगत हो जाते है।

13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights.—(1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.

(3) In this article, unless the context otherwise requires,—

(a) "law" includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law;

(b) "laws in force" includes laws passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas.

(4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368.

संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार है :–

1 मूल अधिकारों की धारा 16–(4),16–(4ए) तथा 16–(4बी) में आरक्षण व पदोन्नति का प्रावधान पिछड़े वर्ग (Backward classes) के लिये किया गया है।

यहां विशेष उल्लेखनीय है कि संविधान की धारा 16 सरकार के अधीन आने वाले पदों में नियोजन व नियुक्ति संबंधी मामलो में सभी नागरिको को समान अवसर देने के लिये है। लेकिन पिछड़े वर्ग के लिये समानता में विशेष अधिकार देकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

16. Equality of opportunity in matters of public employment.—(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

(3) Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any

requirement as to residence within that State or Union territory prior to such employment or appointment.

(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.

(4B) Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause (4) or clause (4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty per cent. reservation on total number of vacancies of that year.

(5) Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination.

2 संविधान की धारा–335 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये राजकीय सेवाओं आरक्षण का प्रावधान कर इसमें दिये गये परन्तुक के अनुसार योग्यता अंको (Qualifying Marks) में छूट देने का प्रावधान किया गया हैं। यह प्रावधान इन वर्गो को हजारों वर्ष तक शारीरिक व मानसिक रूप से दबाये जाने के कारण मानसिक विसंगति को मद्देनजर रखते हुए किया गया है।

335. Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.— The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State:

Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters or promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

3 संविधान की धारा–341 व 342 में अछूत व आदिवासी वर्ग को संविधान की अनुसूची के तहत रखा गया है। तथा इसी कारण इन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति के नाम से जाना जाता हैं। अनुसूची में एस.सी. तथा एस.टी. जाति को सूचीबद्ध कर दिया गया हैं।

341. Scheduled Castes.—(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

342. Scheduled Tribes.—(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

4. संविधान की धारा–340 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है, कमीशन की अनुशंषानुसार पिछड़ी जातियों का चयन कर आरक्षण दिया जा सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अछूत व आदिवासी वे जातियॉ जिनको आरक्षण दिया जाना है को संविधान की अनुसूची में डालकर उनकी संख्या निश्चित कर दी गई है इन जातियों के चयन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रह जाती। धारा 341–(2)के अनुसार संसद अनुसूची में किसी जाति को जोड़ सकती हें तथा किसी जाति को हटा सकती हैं। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के कमीशन की अभिशंषा के उपरांत चयनित जातियों को सूचीबद्ध कर आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।

340. Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.—(1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

5 संविधान की धारा–330 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को लोक सभा में तथा आर्टिकल 332 के तहत राज्यों की विधान सभाओं में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.—(1) Seats shall be reserved in the House of the People for —

(a) the Scheduled Castes;

(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and

(c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

(2) The number of seats reserved in any State or Union territory for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State or Union territory in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State or Union territory or of the Scheduled Tribes in the State or Union territory or part of the State or Union territory, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State or Union territory.

(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that State a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous districts bears to the total population of the State.

Explanation. —In this article and in article 332, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 2001 census.

332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States.— (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in the Legislative Assembly of every State.

(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as

may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.

(3A) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the re-adjustment, on the basis of the first census after the year 2026, of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,—

(a) if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all the seats except one;

(b) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly.

(3B) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes effect on the basis of the first census after the year 2026, of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment)

Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly.

(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.

(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district.

(6) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district:

Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of Assam, the representation of the Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas District, so notified, and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Areas District, shall be maintained.

6 संविधान की धारा–334 में राजनैतिक आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है, मूलतः राजनैतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिये किया था। लेकिन समय–समय पर संविधान में संशोधन कर इसे बढाया जाता रहा है। 95 वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की स्थापना के 70 वर्ष बाद यदि संविधान संशोधन द्वारा राजनैतिक आरक्षण की अवधि नहीं बढाई जाती हैं तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकार किया गया था अतः 70 वर्ष की समय सीमा 25 नवम्बर 2019 को समाप्त होती है। अतः वर्ष 1918 में होने वाले लोक सभा का चुनाव तथा इसी तिथि के उपरांत राज्यों की विधान सभाओं का निर्वाचन भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।

334. Reservation of seats and special representation to cease after sixty years.—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to—

(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and

(b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination,

shall cease to have effect on the expiration of a period of sixty years from the commencement of this Constitution:

Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

335. Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.—The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State:

Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters or promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को देखें तो यह स्थिति आती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये संसद, विधानसभा एवं अन्य स्थानीय निकायों, राजकीय सेवाओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में ही आरक्षण का प्रावधान है। देश व समाज के अति विस्तृत आर्थिक क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप देश व समाज में असमानता तथा गरीबी का साम्राज्य है। देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों पर 15 प्रतिशत सवर्ण वर्ग का अधिपत्य है। परिणामस्वरूप देश में प्राकृतिक संसाधन तथा मानव श्रम की उपलब्धता होते हुए भी विश्व में महत्वपूर्ण स्थान तथा उपलब्धि नहीं है, Have and havenot की खाई बढ़ती जा रही हैं।

दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 15–10–2015 के रिपोर्ट के अनुसार देश में 01 प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल सम्पदा का 53 प्रतिशत भाग है। जो सभी सवर्ण वर्ग के पास है। 50 प्रतिशत गरीब जनता के पास कुल देश की सम्पत्ति का मात्र 4.1 प्रतिशत भाग है। जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। समाचार पत्र ने यह भी लिखा है कि हाल

ही में ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2000–2015 के बीच भारत में 2.284 खरब डॉलर धन पैदा हुआ जिसका 61 प्रतिशत हिस्सा सवर्णों की 01 प्रतिशत जनसंख्या के पास चला गया। शीर्षस्थ 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल उत्पन्न राष्ट्रीय धन का 81 प्रतिशत भाग ही शेष रहा।

यह अत्यन्त भयावह तथा विषम स्थिति है। आर्थिक विषमता आग में घी डालनें का काम कर रही हैं। देश पूंजीवाद व जातिवाद के बॉम्ब पर बेठा है, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। देश में उद्योग, व्यापार, सेवा तथा निजि क्षेत्रों में आरक्षण धार्मिक व जातिवाद व्यवस्था द्वारा प्रदत्त पुश्तैनी अधिकार सवर्णों के पास है। जिन तीन क्षेत्रों में यथा राजनीति, सरकारी सेवा तथा शिक्षा में दलितों एवं पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है की स्थिति बड़ी दयनीय है। मोटे अनुमान के अनुसार स्वतंत्रता के 68 वर्षों के उपरांत भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मात्र 04 प्रतिशत राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व है। अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति तो इससे भी बद्तर है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का मात्र 0.86 प्रतिशत भाग ही राजकीय सेवाओं में है शेष राजकीय सेवाओं में सवर्णों की ही भागीदारी है।

दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी में दिनांक 07–09–2012 को छपी खबर के अनुसार सरकारी सेवाओं के उचस्थ पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं है जबकि सफाई कर्मचारी 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। केन्द्रीय सचिव स्तर के 149 में एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है। अतिरिक्त सचिव के 108 अधिकारियों में दोनों वर्ग के मात्र 02–02 अधिकारी ही है। संयुक्त सचिव के 477 में अनुसूचित जाति के 31 तथा अनुसूचित जनजाति के 15 क्रमशः 6. 5 व 3.1 प्रतिशत ही अधिकारी हैं। इसी प्रकार 590 निदेशकों में से अनुसूचित जाति के 17 तथा अनुसूचित जनजाति के 07 अधिकारी ही हैं। यह आरक्षण की झलक है, लगभग वर्तमान समय में भी यही स्थिति है।

उच्च न्यायालय तथा उच्च शैक्षिक स्तर की स्थिति इससे भी बद्तर है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 481 न्यायाधीशों में अनुसूचित जाति के 14 तथा अनुसूचित जनजाति के 05 तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 36 न्यायाधीश है। सामान्य वर्ग 426 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में एक भी न्यायाधीश इन वर्गों से नहीं है, सवर्ण वर्ग का शत–प्रतिशत कब्जा है। विश्व विद्यालय स्तर पर एक भी कुलपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का नहीं हैं यहां पर भी शत–प्रतिशत अधिपत्य सवर्ण वर्ग का है।

समस्त राज्यों के स्तर पर दृष्टिपात किया जाये तो स्थिति बडी सोचनीय है। सभी उच्चस्थ सेवा के पदों पर सवर्ण वर्ग का ही अधिपत्य है, राज्यों में राजकीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिये जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनमें सवर्णो का वर्चस्व है। इसी कारण चयन प्रक्रिया के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ भेदभाव होता है। योग्य अभ्यर्थियों का नहीं मिलना साक्षात्कार में विभेद व पक्षपात करना तथा अन्य कई बहानें लेकर आरक्षित वर्ग के कोटे को नहीं भरा जाता है। फलस्वरूप साल–दर–साल पद रिक्त रहते हैं। कैरी फॉरवर्ड का वैधानिक प्रावधान होने के कारण एक निश्चित समय सीमा के बाद रिक्तियां लैप्स हो जाती हैं तथा अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भर ली जाती हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी लगभग यही स्थिति है। महाविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को लेकर मनमानी की जाती है। विद्यार्थी यहॉ इस स्थिति में नहीं होते हैं कि इसका विरोध कर सके। जिनका एडमिशन हो जाता है वो शान्त बैठ जाते हैं और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है वे समय सीमा तथा एकता के अभाव में कुछ नहीं कर पाते। केवल अपने भाग्य को कोसने के अतिरिक्त।

निर्वाचित क्षेत्रों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के प्रतिशत की सीमा तक, शत–प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्योंकि यहां योग्यता का प्रश्न नहीं होता है। अशिक्षित अंगूठा छाप भी राजनैतिक पद के प्रत्याशी के योग्य होता है। अतः सवर्ण वर्ग जिनके हाथों में पूर्णतः राजनैतिक सत्ता होती है, को यह निर्धारित करने का बहाना नही मिलता है कि योग्य प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हैं। अतः राजनैतिक

आरक्षण का लाभ जो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सोचा था, नही मिल पार रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जन प्रतिनिधि सवर्ण वर्ग के नेताओं के हाथ की कठपूतली होते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में राजनैतिक दल शासन करते हैं। देश में जितनें भी राजनैतिक दल हैं उन पर सवर्णों का वर्चस्व है। राजनीति उन्हीं के इशारों से घूमती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जन प्रतिनिधि अगले चुनावों में टिकिट कटनें के भय से तथा मंत्री पद या अन्य संवैधानिक पद के लोभ में सवर्णों के हाथों की कठपूतली बने रहते हैं। अपना स्वतंत्र व दबंग राजनैतिक वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाते है इसी कारण आज तक देश में इस वर्ग से सर्वमान्य नेता नहीं बन पाया है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव में बहुमत प्राप्त करनें वाला दल सत्ता में आता है। इसके निर्वाचित सदस्यों पर दल का अनुशासन तथा व्हिप ऐसे दो संघटक होते हैं जिसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पार्टी के विरोध में जाने पर इनका दल से निष्कासन व राजनैतिक भविष्य प्रायः समाप्त हो जाता हैं। अतः ये लोग सवर्ण वर्चस्व धारित वर्ग के सुर में सुर मिलाकर अपने राजनैतिक बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। गत लोक सभा में पदौन्नति में आरक्षण का बिल (117 वां संविधान संशोधन बिल) राज्य सभा में पारित होने के उपरांत लोक सभा में आया था, समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा इस बिल को फाड़नें की तथा अपने आकाओं को प्रसन्न करनें की बहादुरी दिखाई गई थी।

हजारों वर्षो से शिक्षा के अधिकार से वंचित किये जाने के कारण स्वतंत्रता के समय दलित व आदिवासी वर्ग का शैक्षिक स्तर सवर्णों की तुलना में कम रहा हैं।

इनके आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा में विलम्ब होना स्वाभाविक है इसी कारण इस वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी विलम्ब से अधिक उम्र में राजकीय सेवाओं में आते हैं। फलस्वरूप उच्च पदों पर उनकी पदौन्नति नहीं हो पाती है उच्च व उच्चस्थ पदों का राजकीय सेवाओं में विशेष महत्व एवं योगदान होता है। क्योंकि राज्य की नीति निर्धारण तथा नवीन नियुक्तियों में इनकी विशेष भूमिका होती है। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये पदौन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन सवर्ण वर्ग को यह नागवार गुजरा तथा प्रारंभ से ही इनके द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। पदौन्नति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में प्रारम्भिक काल में भारी अनियमितताएं की जाती रही हैं। जबसे दलित वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी कुछ मात्रा में राजकीय सेवाओं में आने लगे तथा अपने अधिकारों के संबंध में सचेत होने लगे, सवर्ण वर्ग में तिलमिलाहट होने लगी। सवर्ण वर्ग द्वारा यह मांग उठाई जानें लगी कि पदौन्नति में आरक्षण के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी वरिष्ठता में उपर जाकर बॉस बन जाता है। इससे उनके झूठे आत्माभिमान को ठेस लगने लगी तथा पदौन्नति में आरक्षण का विरोध किया जाने लगा। लेकिन ये लोग यह भूल जाते हैं कि हजारों वर्षों से हमारे बुजुर्ग उनके 05 वर्ष के बच्चे को भी 'जी'' कहकर संबोधित करता आया है।

जिस समय अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था उसको सवर्णों द्वारा न्यायालय में ले जाया गया। इसमें केवल अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी मामला था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में कोई मामला विचाराधीन नहीं था। लेकिन माननीय न्यायाधीशों द्वारा इन्द्रा साहनी प्रकरण के निर्णय में एस.सी.,एस.टी. की पदौन्नति के संबंध में भी विचार किया गया तथा यह निर्णय दिया गया कि संविधान में एस.सी., एस.टी. के लिये पदौन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान नहीं हैं। अतः पदौन्नति में आरक्षण देना वैधानिक नहीं है, लेकिन साथ में यह भी अभिमत प्रकट किया गया कि चूंकि सरकार द्वारा कई वर्षो से पदौन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है यदि सरकार आगे भी आरक्षण लगातार रखना चाहती है तो 5 वर्ष की समय सीमा में इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करें, अन्यथा 05 वर्ष उपरांत यह स्वतः समाप्त हो जायेगा। इसी को लेकर संसद द्वारा वर्ष 1995 में 77 वां संविधान संशोधन कर धारा 16–(4) जोड़कर पदौन्नति में

आरक्षण का प्रावधान किया गया इसके उपरांत 85 वां संशोधन कर दिनांक 17–06–1995 से पदौन्नति में आरक्षण देने के साथ–साथ परिणामिक वरिष्ठता का प्रावधान भी किया गया। इसके उपरांत उच्चतम न्यायालय में पदौन्नति में आरक्षण को लेकर कई याचिकाए लगाई गई, न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा पदौन्नति में आरक्षण को जटिल व विवादास्पद बना दिया गया इसमें वीरपाल सिंह चौहान, अजीत सिंह जानुजा, सबरवाल तथा एम. नागराजन के प्रकरण मुख्य हैं।

न्यायालयों की इसी जटिल व विवादास्पद स्थिति के कारण राजस्थान राज्य में कई वर्षो तक पदौन्नति के मामले लम्बित रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के राजस्थान पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदौन्नति देने के उपरांत रिवर्ट किया गया। आर. ए. एस. से आई. ए. एस. तथा अन्य विभागों में पदौन्नति के मामले 15 वर्षो तक लम्बित रहे। उत्तर प्रदेश में पदौन्नति मे आरक्षण समाप्त कर दिया गया, हरियाणा व हिमाचल में भी यही स्थिति है। यहां मुख्य बात यह है कि इसके उपरांत पदौन्नति में आरक्षण के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के मूल आरक्षण को समाप्त करने के पुरजोर प्रयास प्रारंभ हो गये। राजस्थान में समानता मंच का गठन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के संगठन सक्रिय हो गये। आरक्षण को लेकर देश में अस्थिरता का वातावरण बनता जा रहा है। जो देश की अखण्डता व प्रभुसत्ता के लिये अच्छा नही हैं। विशेषतः उत्तरी भारत में इस प्रकार का वातावरण मुख्य रूप से बनता जा रहा है। क्योंकि देश के उत्तरी राज्यों में ब्राह्मण जाति की संख्या अधिक होने के कारण उनका राजनैतिक व सामाजिक वर्चस्व है। उनको अपना आर्थिक व सामाजिक वर्चस्व का आधार खिसकता नजर आने लगा। इस जाति ने सदैव से दूसरों के श्रम से मुफ्त की कमाई खाई है, मेहनत करना इनके खून में नहीं है।

क्या आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ पूर्ण मिल पाया है, यदि नही तो क्यो ? यह एक महत्तवपूर्ण प्रश्न है ? इस पर विचार किया जाता है तो बड़ी निराशाजनक स्थिति हमारे सम्मुख आती है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तथा संविधान में दलित वर्ग के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया था उस समय आरक्षण का लाभ उठानें योग्य पढ़े लिखे आरक्षित वर्ग के लोगों का प्रतिशत नगण्य था। क्योंकि उच्च जातियों ने दलित वर्ग को शिक्षा के अधिकार से पूर्णतः वंचित रखा था। ब्रिटिश काल में दलित शिक्षा पर कुछ ध्यान अवश्य दिया गया। लेकिन देश में शिक्षा के प्रति इन वर्गो के लिये शिक्षा का वातावरण नहीं बन पाया था। छुआछुत का बोलबाला था। शिक्षा का अधिकार दिये जाने के बाद भी विद्यालयों में इस वर्ग के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता था तथा उनके साथ पशुवत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर इसके भुगत–भोगी रहे हैं। अभिभावक वर्ग शिक्षा के महत्व को नहीं समझता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष व अथक प्रयासों के कारण इस वर्ग के लिये शिक्षा का वातावरण बनने लगा व कुछ लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे। वर्ष 1975 तक एक ऐसा समय था जिसमें इस वर्ग के लोग शैक्षिक दृष्टि से तैयार होकर राजकीय सेवाओं में आने के लिये योग्य होने लगे। वर्ष 1975 तक राजकीय सेवाओं के आकड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इस अवधि के बाद इस वर्ग के लोग राजकीय सेवाओं में शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर आरक्षण के कारण आने लगे यद्यपि आरक्षण का विरोध तो सवर्ण वर्ग द्वारा इसके स्थापना काल से ही प्रारंभ कर दिया गया था लेकिन इसके बाद आरक्षण का तीव्र विरोध होने लगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण ने तो आग में घी डालने का काम किया। आरक्षण के क्रियान्वयन में प्रथम सबसे बड़ी बाधा सवर्ण समाज रहा है। आरक्षण के प्रति इन लोगों के द्वारा विपरित व निषेधात्मक वातावरण बनाया गया। जिसमें न्यायालयों की भूमिका भी नकारात्मक रही है।

आरक्षण के क्रियान्वयन में कुछ अधिकारियों की नकारात्मक मानसिकता भी महत्वपूर्ण कारक रहा है। यही वर्ग नीति व नियुक्ति के लिये उत्तरदायी होता है। उच्चस्थ पदों पर आज भी सवर्ण वर्ग का वर्चस्व है। इन लोगों की एस.सी,एस.टी. जातियों के प्रति नकारात्मक व विपरीत मानसिकता होने के कारण नियुक्ति व पदौन्नति में भेदभाव बरता जाता है। दलित वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के गोपनीय वार्षिक प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणियां की जाती हैं। कार्यालय स्तर पर इस वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। सवर्ण वर्ग के अधिकारी मन मानें ढंग से आरक्षण का क्रियान्वयन करते हैं। पॉलिटिकल बॉस भी इसी जाति के होते हैं। अतः उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि आरक्षण की पूर्ण पालना नहीं करने तथा गलत ढंग से करने पर अधिकारियों को दण्डित किया जा सके। आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था व अधिकार है जो दलित वर्ग को आत्मसम्मान तथा देश में सामाजिक समानता स्थापित करने के लिये दिया गया है। संविधान के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर क्रियान्वयन का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है तथा राज्य स्तर पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक केन्द्रीय स्तर पर आरक्षण के क्रियान्वयन के लिये कोई विधान नहीं बनाया गया है तथा ना ही स्पष्ट आरक्षण नियम बनायें गये हैं।

संविधान में प्रदत्त आरक्षण के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये निश्चित कानून एवं नियम केन्द्र व राज्य स्तर पर होना आवश्यक है। यही कारण है कि न्यायालय स्तर पर आरक्षण के सम्बंध में वाद दलित वर्ग के विपरीत पारित होते हैं। आरक्षण के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न सेवा नियमों में ही प्रावधान किया गया हैं, समय–समय पर विभिन्न मांगो के दबाव में परिपत्र जारी होते रहे हैं। जो कभी–कभी तो एक दूसरे के विरूद्ध भी होते हैं। परिपत्र इतने अधिक जारी हो चुके हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इसी कारण सवर्ण मानसिकता के अधिकारियों द्वारा प्रपत्रों का सुविधानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये अन्यथा उपयोग किया जाता है। एसी स्थिति मे आरक्षण के क्रियान्वयन के लिये निश्चित विधान व नियम अतिआवश्यक हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चस्थ अधिकारियों की दूषित मानसिकता के कारण उनकी आरक्षण के प्रति अरूचि होती है। वे आरक्षण के प्रावधान व नियमों के प्रति न तो सजग होते हैं और न ही उनको इनकी जानकारी होती है। विडम्बना यह भी है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकतर अधिकारी व कर्मचारियों को अपने स्वयं के विभाग के नियम व आरक्षण नियमों की जानकारी नहीं होती है।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि न्यायालय का व्यवहार भी आरक्षण के प्रति व्यवहारिक न होकर नकारात्मक होता है। ना ही न्यायालय के सम्मुख अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी का सशक्त पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अभिभाषक होते हैं क्योंकि प्रायः देखा गया है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभिभाषक इस वर्ग के न्यायिक प्रकरण लेने में आना–कानी करते हैं। इसलिये इस वर्ग के प्रकरणों की पैरवी करने के लिये उच्च वर्ग के अभिभाषक ही होते हैं जिनकी मानसिकता आरक्षण के प्रति नकारात्मक होती है। यही कारण है कि न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को विवादास्पद बना दिया गया हैं। पदौन्नति में आरक्षण के मामले में इन्द्रा साहनी के बाद संविधान में 77 वां संशोधन किया गया, तो अन्य फैसले मे ''कैचअप'' का सिद्धान्त न्यायालय द्वारा सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर प्रतिपादित किया गया, इसके लिये संविधान में 85 वां संशोधन किया गया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदौन्नति में आरक्षण के साथ–साथ परिणामिक वरिष्ठता देने का प्रावधान किया गया। यहीं तक स्थिति पर विराम नहीं लगा, एम. नागराजन के निर्णय में संविधान में आरक्षण के प्रावधान को एनेबलिंग मानते हुए यह कहा गया कि पदौन्नति में आरक्षण दिया जाये या नहीं यह सम्बन्धित राज्य सरकार का विषय है। पदौन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने के लिये सरकार

द्वारा तीन तथ्यों की जांच की जानी चाहिये। पहला पिछड़ापन, दूसरा प्रशासनिक दक्षता एवं तीसरा सेवाओं में प्रतिनिधित्व। इन तथ्यों को लेकर बिना किसी जांच के कई राज्य सरकारों द्वारा पदौन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार इसका मुख्य उदाहरण है। इसी को लेकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के भारी दबाव के कारण संविधान में 117 वां संशोधन प्रस्तावित किया गया जो गत संसद में राज्य सभा में पारित हो चुका है, लोक सभा में लम्बित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक सभा में बहस के दौरान उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति के सांसदो द्वारा प्रस्तावित बिल को अपने आकाओं की स्तुति तथा उनके प्रति अपनी वफादारी दर्शाने के लिये फाड़ा गया था।

आरक्षण को लेकर सवर्ण वर्ग द्वारा यह कहा जाता है कि आरक्षण के कारण अयोग्य व्यक्ति प्रशासन में आ रहे हैं इससे न केवल देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है वरन् समाज में असमानता फैल रही है व सामाजिक समरसता समाप्त हो रही है। जहां तक सामाजिक असमानता का प्रश्न है, यह मनुवादी व ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है जो इन्हीं लोगो द्वारा बनाई गई थी।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आरक्षण समाप्त होने से सामाजिक समानता स्थापित हो जायेगी? इन लोगों की कुदृष्टि देश के आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक संसाधनों पर शत–प्रतिशत अधिपत्य स्थापित करने की है। जहां तक सामाजिक समरसता का प्रश्न हैं ये लोग चाहते है कि वर्तमान धार्मिक सामाजिक तथा जाति व्यवस्था कायम रखते हुए समाज में समरसता कायम रखना चाहते हैं। यदि देश से असमानता दूर करनी है तो जाति प्रथा को समाप्त करना होगा तभी देश में सामाजिक समानता व समरसता स्थापित हो सकती है। धार्मिक ग्रन्थों में अछूत वर्ग के लिये असम्मानजनक बाते लिखी गई हैं उन्हे हटाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग इस देश के मूल निवासी हैं। उनको देश में सम्मानजनक स्थान देना होगा वरन् देश का पूर्व में एक विभाजन हो चुका है, एक अन्य विभाजन से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यदि योग्यता की बात की जाये तो सवर्ण लोगो से अयोग्य इस देश मे कोई जाति–प्रजाति नहीं हो सकती। हजारों वर्षो से शिक्षा (पढ़ना,पढ़ाना) शासन, सम्मति व अस्त्र–शस्त्र पर सवर्णो का अधिकार रहा है। अछूत व पिछड़े वर्ग को कोई अधिकार नहीं थे वरन् तीनो वर्णों की सेवा का कार्य दिया गया था। इनका शासन, प्रशासन, देश की सम्पत्ति व शिक्षा में कोई अधिकार नहीं था यदि सवर्ण लोग इतने ही योग्य थे, तो देश सहस्त्र वर्षों तक गुलाम क्यों रहा? मध्य एशिया से चन्द कबीले तथा मुगलों ने यहां हजारों मील से आकर सीमित साधनों से आक्रमण किये व देश को गुलाम बना लिया जबकि हमारे पास सभी साधन, लाव–लश्कर तथा सैनिक भी अधिक मात्रा में थे। इनकी बहादुरी और योग्यता कहां गई थी ? मुठ्ठी भर अग्रेंज भारत में व्यापार करने आये थे, मालिक बनकर बैठ गये। यह है इनकी योग्यता। योग्यता का ढ़ोंग पीटने वाले लोग पहले अपनी गिरहबान मे झांक कर देखे, अछूत, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग को हजारों वर्ष से शारीरिक व मानसिक रूप से सवर्ण वर्ग द्वारा दबा कर पंगु बना दिया गया था, क्या 67 वर्ष के सीमित काल में हजारो वर्षों की क्षतिपूर्ति हो सकती है ?

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग को केवल शिक्षा, सरकारी सेवा तथा राजनीति में आरक्षण दिया गया हैं। निजि क्षेत्र सेना, व्यापार उद्योग जो सामाजिक व आर्थिक जगत के आधार स्तंभ है, उनमें आरक्षण नहीं हैं। चीन, 1962 से हजारों किलोमीटर भूमि दबाये बैठा है, हमनें उसका क्या बिगाड़ लिया ? पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश हमें चाहे जब धमकियां लगाता रहता है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका में आतंकवाद का जिम्मेदार मानते हुए अमेरिका उसे पाकिस्तान से उठाकर ले गया। भारत में हमने आतंकवादियों के लिये क्या किया ? बड़बोले पन को त्याग कर वास्तविक स्थिति का आंकलन कर विश्व के सामने जाना होगा वरन् अन्य विकसित देश भारत को बाजार मानकर व्यवहार करते रहेंगे।

उच्च जातिय सवर्ण वर्ग आधुनिक भारत में शासन चला रहे हैं। उन्होंने स्वयं के राजनैतिक दल बनायें हैं । अतः विधायका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में उनका ही वर्चस्व है। वे उद्योगों के स्वामी हैं वे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सीरस्थ स्थान पर हैं। फिर 68 साल के शासन में भारत की एक चौथाई जनसंख्या दो जून की रोटी के लिये संघर्षरत क्यों है ? आज भारत में बच्चों को पोषक आहार क्यों नही मिल रहा हैं ? भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे क्यों जीवनयापन कर रही है। ब्राह्मणों को सदैव से पढ़ने व पढानें का एकाधिकार रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्ही लोगों का वर्चस्व रहा है। फिर भी भारत में 35 प्रतिशत लोग स्वतंत्रता के 68 वर्ष के उपरांत भी अशिक्षित क्यों हैं ? भारत ज्ञान सूचकांक में 124 वें स्थान पर क्यों है? विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालयों मे हमारा एक भी विश्वविद्यालय क्यों नहीं है? कितने वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारे द्वारा कितने अविष्कार किये गये हैं ? कितने वैज्ञानिक शौध किये गये हैं? बौद्धिक योगदान के लिये भारत में कितने लोगो को नोबल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ?

देश की अरबों की आबादी है जनसंख्या में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। खेलों में छोटे–छोटे देशो के मुकाबले हम कितने स्वर्ण पदक ओलम्पिक में जीत पाये हैं जबकि खेलो में कोई आरक्षण नहीं है। सिनेमा जगत में विश्व की तुलना में भारत में कितना विकास हुआ है ? किसान हमारें यहां आत्म हत्यायें क्यों कर रहे हैं।

देश में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, भाषा और आहार के आधार पर भेदभाव होता है तथा अवसरों को नकारा जाता है। अयोग्यता का तमगा दलित व पिछड़े वर्ग पर लगाया जाता है। वास्तविक रूप से अयोग्य तो सवर्ण वर्ग है। जिनके कारण देश रसातल में गया है। प्राकृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनों की प्रचुरता होने के बावजूद भी भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत नीचे है।

सवर्णो द्वारा आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत आरक्षण की मांग की जा रही है। राजस्थान में तो विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया है। क्या सवर्ण वर्ग के नेताओं को यह विदित नहीं है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कायकर्म नहीं है, ना ही आरक्षित जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। वरन् समाज में अछूत व पिछड़ी जातियों को सम्मानजनक स्थान देने के लिये दिया गया है। साथ में इनका आर्थिक पिछड़ापन भी दूर हो।

सवर्ण लोगो को सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर पूर्ण अवसर प्राप्त थे। सभी आर्थिक संसाधनों पर इन्हीं लोगों का अधिपत्य था। लेकिन ये लोग अपने निकम्मेपन तथा नकारापन के कारण गरीब हैं, इन्होंने अवसर का सदुपयोग नहीं किया ऐसी स्थिति में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि इन लोगों की देश में कुल आबादी 15 प्रतिशत है, योग्यता के नाम पर 50 प्रतिशत आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं तथा 15 प्रतिशत आरक्षण ओर लेकर एस.सी., एस.टी. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के भाग को भी हथियाना चाहते हैं। आर्थिक आरक्षण के बहानें ये लोग देश के शासन, प्रशासन तथा संसाधनों पर शत–प्रतिशत स्वामित्व चाहते हैं।

आरक्षण को लेकर उच्च जातियों द्वारा बवेला मचाकर जिस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, अन्ततोगत्वा गृह युद्ध का कारण बन सकता है। भारत विश्व युद्ध का अखाड़ा भी हो सकता है। इससे हमें सतर्क रहना होगा। इस प्रकार की स्थिति तथा वातावरण देश हित में नहीं है। इससे सावधान रहनें की आवश्यकता है।

जे.पी. विमल (आई ए एस रिटायर्ड)
अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, जन जाति आरक्षण मंच, राजस्थान
मोबाईल नं. 9414027400

Roster for SC/ST/OBC/OC

Roster Point	Category	Roster Point	Category	Roster Point	Category
1	OC	35	OBC	69	SC
2	OC	36	OC	70	OC
3	OC	37	OC	71	OC
4	OC	38	SC	72	OBC
5	OBC	39	OBC	73	OC
6	OC	40	OC	74	OC
7	SC	41	OC	75	ST
8	OC	42	ST	76	SC
9	ST	43	OBC	77	OBC
10	OBC	44	SC	78	OC
11	OC	45	OC	79	OC
12	OC	46	OC	80	OC

13	SC	47	OC	81	OBC
14	OC	48	OBC	82	SC
15	OBC	49	OC	83	OC
16	OC	50	SC	84	ST
17	ST	51	ST	85	OC
18	OC	52	OC	86	OBC
19	SC	53	OBC	87	OC
20	OBC	54	OC	88	SC
21	OC	55	OC	89	OC
22	OC	56	OC	90	OC
23	OC	57	SC	91	OBC
24	OBC	58	OBC	92	ST
25	ST	59	ST	93	OC
26	SC	60	OC	94	SC
27	OC	61	OC	95	OC
28	OC	62	OBC	96	OBC
29	OBC	63	SC	97	OC
30	OC	64	OC	98	SC
31	OC	65	OC	99	ST
32	SC	66	OC	100	SC
33	OC	67	ST		
34	ST	68	OBC		